(37)

II/निग०/उमरिया/2018/0222

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा,

जिला रीवाम०प्र०

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक /2018

अधि० श्री बी.एन. मिश्रा द्वारा पेश 06-1-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

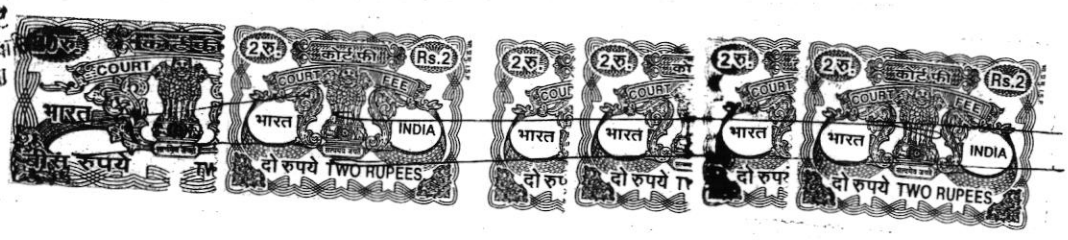

कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

राम कुमार पिता जागेश्वर काछी निवासी बुटार, तहसील मानपुर,

जिला उमरिया म०प्र० ----------- आवेदक/ निगराकार

बनाम

म०प्र०शासन ----------------- अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 339/ अपील/2009-2010 मेपारित आदेश दिनांक 13-7-10।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

आवेदक /निगराकार की निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखितआधारोपर प्रस्तुत है:-

1- यहकि विद्वान अधीनस्थ न्याया० का आदेश विधि एवम न्यायिक प्रक्रियाओ के प्रतिकूल होने के कारण काबिल निरस्तगी के है।

2- यहकि श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय मानपुरका प्रकरण क्रमांक 05अ-19/4/97-98 आदेश दिनांक 14-6-2000 ग्राम बुढार स्थित सर्वे नं० 35 रकबा 30-00 मेसे 2-000 है० पर आवेदक के नाम

राम कुमार काछी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

दो / निग. / उमरिया / 2018 / 0222

रामकुमार काछी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बी.एन. मिश्रा को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 9/8/18 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0क्र0 399 / अपील / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2010 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। आवेदक 11.87 एकड़ की भूमि का भूमिस्वामी था, किन्तु फिर भी उसने जंगल आबादी एवं गोठान की भूमि जो की मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज थी का व्यवस्थापन करा लिया, जिसका व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिये है कि राजस्व न्यायालयों को उक्त श्रेणी की भूमियां कृषि प्रयोजन हेतु आवंटन का अधिकार नहीं है। इसी कारण अपर आयुक्त ने कलेक्टर के निर्णय को उचित मानते हुये स्थिर रखा है। अतः अपर आयुक्त शहडोल के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आग्राहय की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो। (आर.के. जैन) सदस्य	